राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या :338 व 339/2014..... ..... जिला : सिरोही.....

उनवान मैसर्स बिनानी सीमेन्ट लि.ग्राम–पिण्डवाडा,सिरोही बनाम वा.क.अ.,प्रतिकरापवचंन,द्वितीय,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.04.2014	खण्ड पीठ श्री सुनील शर्मा,सदस्य श्री अमर सिंह,सदस्य अपीलार्थी की ओर से श्री एम.एल.पाटोदी एव विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त दोनों अपीले मय स्थगन प्रार्थन पत्र अपीलीय प्राधिकारी,द्वितीय वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 26 एवं 27/आरवैट/सिरोही/13–14 में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 11.02.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन,द्वितीय,जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2009–10 एवं 2011 के कर निर्धारण अधिनियम की धारा 25,55,18,61,65 एवं 33 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 23.01.2014 के अन्तर्गत कायम की गई मांग राशि राशि रू. 1,73,03,546/– व रू. 1,81,60,745/– में से रू. 1,34,89,968/– एवं रू. 1,37,30,965/–की वसूली को स्थगित रखते हुए शेष रू. 38,13,758/– एवं रू. 44,29,780/– की वसूली पर अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगन नहीं दिये जाने के कारण रू. 38,13,758/– एवं रू. 44,29,780/– की वसूली पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रोक लगाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में अपीलीय यस्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के माइनिंग एक्यूपमेन्ट पर लाभ योग्य आई.टी.सी. का अनुचित रूप से रिवर्स किया गया है एवं चुके डीजल पर भी करारोपण गया है, जबकि वह प्रथम बिन्द पर कर योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशि रू. 1,73,03,546/– व रू. 1,81,60,745/– में से रू. 1,34,89,968/– एवं रू. 1,37,30,965/–की वसूली को स्थगित रखते हुए शेष रू. 38,13,758/– एवं रू.44,29,780/– पर रोक नहीं लगाने का कोई कारण आदेश में अंकित नहीं किया है। इसलिए सुविधा सन्तुल अपीलार्थी के पक्ष में जाता है । अतः उन्होंने शेष रू. रू. 38,13,758/– एवं रू.44,29,780/–की वसूली पर रोक पर लगाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी–पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों का विरोध किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश का अध्ययन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों में प्रथम दृष्टया आंशिक सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में बनता है ।अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत शेष रू. 38,13,758/– एवं रू. 44,29,780/– की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के **तीन माह** में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया । (अमर सिंह) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	